

भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोकसभा

अतारांकित प्रश्न संख्या. 3944

(सोमवार, 18 अगस्त, 2025/27 श्रावण, 1947 (शक) को उत्तर के लिए)

एमसीए वी3 पोर्टल का शुभारंभ

3944. डॉ. टी. सुमति उर्फ तामिज्ञाची थंगापंडियनः

श्री डॉ. एम. कथीर आनंदः

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पिछले दो वर्षों के दौरान उपयोगकर्ताओं द्वारा प्राप्त गडबडियों से बचने के लिए और उपभोक्ताओं से प्राप्त शिकायतों से बचने के लिए 38 नए ई-फॉर्म के साथ एमसीए पोर्टल का नवीनतम संस्करण 3 लॉन्च किया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) एमसीए पोर्टल के संस्करण 3 को लॉन्च करने के लिए सरकार द्वारा कुल कितना व्यय किया गया है;

(ग) क्या चार्टर्ड अकाउंटेंट और कंपनी सचिव एमसीए पोर्टल के नवीनतम संस्करण 3 के माध्यम से एक करोड़ से अधिक ई-फॉर्म दाखिल करने में सक्षम हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) क्या उपभोक्ता से संबंधित शिकायतें दर्ज करने के लिए ई-दाखिल पोर्टल, राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) और वॉकस्या प्लेटफॉर्म बनाए गए हैं और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

(श्री हर्ष मल्होत्रा)

(क): जी हां, मंत्रालय ने 14 जुलाई 2025 से प्रभावी एमसीए21 संस्करण 2 से संस्करण 3 में 38 ई-प्ररूप माइग्रेट किए हैं। इनमें 13 वार्षिक फाइलिंग प्ररूप, 6 ऑडिट / लागत ऑडिट प्ररूप और कई अन्य अनुपालन और रिपोर्टिंग प्ररूप शामिल हैं। संक्रमण का उद्देश्य अनुपालन दक्षता को बढ़ाना, डाटा रिपोर्टिंग को मानकीकृत करना और वेब-आधारित फाइलिंग, उन्नत सत्यापन, पूर्व-भरे हुए प्ररूप और मजबूत प्रमाणीकरण तंत्र जैसी सुविधाओं के माध्यम से डिजीटल कारपोरेट प्रशासन को बढ़ावा देना है।

(ख): इन ई-प्ररूपों को शुरू करने के लिए किया गया व्यय एमसीए21 वी3 परियोजना के लिए समग्र बजट आवंटन के तहत कवर किया गया है। इस परियोजना के तहत अब तक कुल 243.39 करोड़ रुपये व्यय किए गए हैं।

(ग): 8 मार्च 2022 को एमसीए21 वी3 में प्ररूपों के पहले सेट के लॉन्च के बाद से, चार्टर्ड एकाउंटेंट, कंपनी सचिवों सहित विभिन्न हितधारकों द्वारा 1.30 करोड़ से अधिक ई-प्ररूप फ़ाइल किए गए हैं।

(घ): उपभोक्ता विवादों का तेजी से और निर्बाध समाधान सुनिश्चित करने के लिए, इलेक्ट्रॉनिक शिकायत करने के लिए ई-फ़ाइल पोर्टल शुरू किया गया था। उसे अब ई-जागृति पोर्टल में एकीकृत दिया गया है। ई-जागृति पोर्टल को माइक्रो-सर्विस आर्किटेक्चर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस/मशीन लर्निंग इंटीग्रेशन और नवीनतम सुविधाओं जैसे फेसलेस ऑनबोर्डिंग और रोल-आधारित डैशबोर्ड के माध्यम से उपभोक्ता शिकायत निवारण को बढ़ाने के लिए विकसित किया गया है। यह मौजूदा एप्लीकेशंस (ओसीएमएस, ई-फ़ाइल, एनसीडीआरसी सीएमएस, कॉन्फोनेट एप्लिकेशन) को एक एकल, स्केलेबल सिस्टम में एकीकृत करता है जो उपभोक्ताओं को बहुभाषी समर्थन के साथ, कहीं से भी, कभी भी शिकायत करने में सक्षम बनाकर महत्वपूर्ण रूप से लाभान्वित करता है। एकीकृत मंच शिकायत निवारण प्रक्रिया को सुव्यवस्थित करता है, तेजी से समाधान और बढ़ी हुई पारदर्शिता प्रदान करता है।

उपभोक्ता कार्य विभाग द्वारा प्रशासित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन (एनसीएच) देश भर में उपभोक्ताओं के लिए मुकदमेबाजी से पहले के चरण में उनकी शिकायत निवारण के लिए पहुंच के एकल बिंदु के रूप में उभरी है। उपभोक्ता टोल फ्री नंबर 1915 के माध्यम से हिंदी, अंग्रेजी, कश्मीरी, पंजाबी, नेपाली, गुजराती, मराठी, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, मलयालम, मैथिली, संथाली, बंगाली, उड़िया, असमिया और मणिपुरी सहित 17 भाषाओं में अपनी शिकायतें दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों को एकीकृत शिकायत निवारण तंत्र (आईएनजीआरएएम), जो एक ओमनी-चैनल आईटी सक्षम केंद्रीय पोर्टल है, विभिन्न चैनलों- व्हाट्सएप (8800001915), एसएमएस (8800001915), ईमेल (nch-ca@gov.in), एनसीएच ऐप, वेब पोर्टल (consumerhelpline.gov.in) और उमंग ऐप के माध्यम से उनकी सुविधा के अनुसार पंजीकृत किया जा सकता है। 1110 कंपनियां, जिन्होंने 'अभिसरण' कार्यक्रम के हिस्से के रूप में एनसीएच के साथ स्वेच्छा से भागीदारी की है, अपनी निवारण प्रक्रिया के अनुसार इन शिकायतों का सीधे जवाब देती हैं और पोर्टल पर शिकायतकर्ता को प्रतिक्रिया प्रदान करके जवाब देती है।
